

6

गिरवी अथवा बंधक के अनुबंध (Contract of Pledge)

PART - II

गिरवी रख लेने वाले मालिक गिरवीदार के कर्तव्य (Duties of Pawnee)

गिरवी रख लेने वाले मालिक गिरवीदार के कर्तव्य निम्नलिखित हैं -

1. माल की देखभाल करना। (धारा 152)
2. गिरवी की धारों के विरुद्ध कार्य न करना। (धारा 153)
3. माल का अनाधिकृत उपयोग न करना। (धारा 154)
4. गिरवी के माल को अपने माल के समान किलाना। (धारा 156-157)
5. प्रदत्त की मूजानि मन्वान वजन के निष्पादन पर
6. गिरवी के माल से हुई हुई अन्वय लाभान्वित न बनना। (धारा 161)
7. अल्पपाठन मन्वान धारों के लिए माल को न देना। (धारा 175)

गिरवी रखने वाले के अधिकार (Rights of a Pawnee)

गिरवी रखने वाले के निम्नलिखित अधिकार हैं -

1. प्रदत्त की मूजानि मन्वान वजन निष्पादन पर वह माल को धारों का अधिकारी है। (धारा 160)
2. गिरवी के माल से हुई अन्वय लाभान्वित न बनने का अधिकार है। (धारा 161)

3. यदि किरवी रहने वाला आराम होकर माल को ले जाता है, तो किरवी रहने वाला सिर्फ किरिबिक धन रखे जो पाने का सचिकरी है जो आराम धन (अपना तथा भाग लिये) से किरिबिक है।
4. किरवी रहे जाने मालका दुर्दमनीक होने पर क्षीप्रति का किरिबिक।

किरवी रहने वाले के कर्तव्य
(Duties of Pawnee)

किरवी रहने वाले के कर्तव्य निम्न-
लिखित हैं -

1. प्रदत्त को सुकाने कचका वजन का निष्पादन करना
2. किरवी के माल की सुरक्षा के लिए जिम्मे जम्मे किरिबिक धन धरने को सुकाना (धारा 175)
3. यदि किरवी रहने वाले को आराम होकर माल लेना फेर-फेर मात्र धन आराम धन (अपना व आराम लिये) से कम है, तो किरवी रहने वाला माल की सुरक्षा करने के लिए आराम है।